सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 576 राँची, सोमवार 11 जून, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 मई, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड का पत्रांक-2995/जेल, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 एवं पत्रांक 1628/जेल दिनांक 28 मार्च, 2017
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9594, दिनांक 11 नवम्बर, 2016, पत्रांक 3262 दिनांक 20 मार्च, 2017

संख्या-5/आरोप-1-107/2016 का.-3602-- श्री अनिल कुमार पाण्डेय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-464/03, गृह जिला-पटना), तत्कालीन निदेशक (प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड के पत्रांक-2372, दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा आयकर से संबंधित फार्म 24Q/26Q ससमय भरकर जमा नहीं करने संबंधी आरोप उपलब्ध कराया गया । उक्त आरोप प्रपत्र- 'क' में नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-7787, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड से आरोपों को प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ।

कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड के पत्रांक-2995/जेल, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये है-

आरोप सं०-1 कारा निरीक्षणालय में दिनांक 5 जून, 2013 से 31 मार्च, 2015 तक ये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं । इनका कर्त्तव्य था कि लेखा से सम्बन्धित कार्यों का ससमय संचिका को उपस्थापित करना तथा आयकर से सम्बन्धित सरकार को भुगतान किये जाने वाले आयकर का ससमय निष्पादित नहीं करने के कारण आयकर फार्म 24Q/26Q का ससमय जमा नहीं करने के वजह से भारत सरकार आयकर विभाग को आयकर शुल्क विलम्ब ब्याज सहित राशि रू० 1,55,773.00 का भुगतान करना पड़ा है ।

आरोप सं०-2 इनका यह कृत्य गैर जिम्मेदाराना रवैये का द्योतक है, जिसके कारण सरकार को राशि रू० 1,55,773.00 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है ।

आरोप सं०-3 श्री अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-9594, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री अनिल कुमार पाण्डेय, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड ने अपने पत्रांक 2006 दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया है । इनके स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

आरोप सं०-1 पर स्पष्टीकरण इनका कहना है कि उक्त अवधि में ये निरीक्षणालय में निदेशक (प्रशासन) कारा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे । लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते समय इन्हें अधीनस्थ कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित आयकर प्रपत्र को Income Tax Consultant के साथ मिलकर जमा करवाया । आयकर विभाग द्वारा विलंब शुल्क निरीक्षणालय पर लगाया गया है, इसकी जानकारी इन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत हुई । इनका स्थानांतरण कारा निदेशालय से 16 अप्रैल, 2015 को हो गया था । आयकर शुल्क विलंब ब्याज जिसकी राशि रू० 1,55,773.00 अतिरिक्त भुगतान के संबंध में इनका कहना है कि सरकार के प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक-893, दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा जो सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को संबंधित है, जिसमें आयकर से संबंधित बकाया भुगतान ससमय करने का निर्देश दिया गया था अर्थात सरकार द्वारा मार्च 2016 में इस बिन्दु पर निर्देश दिया गया और उस समय इनका पदस्थापन दूसरे स्थान पर था । अगर इनका पदस्थापन कारा निरीक्षणालय में रहती, तो ये Late Filing Levy/Interest को विलोपित कराने का प्रयास करते । अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक-2093/वि०, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/

विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को आयकर की कटौती केन्द्र सरकार के खाते में कृत विलंबित भुगतान पर उद्भूत ब्याज तथा तद्जनीत Late Filing Fee के भुगतान के संबंध में निर्देश दी गई है । इस पत्र के अंतिम पारा में वर्णित है "आयकर के अब तक के प्रतिवेदित विलंबित भुगतान पर उद्भूत ब्याज तथा इसके Late Filing Fee के भुगतान को उपरोक्त निर्देशित इकाई से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय । इसके बाद अत्यापरिहार्य कारणों को छोड़कर प्रत्येक विलंबित देयताओं के भुगतान के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे तथा सरकारी कोष से इसका भुगतान नहीं किया जायेगा ।"

उक्त पत्र में Late Filing Fee का भुगतान कार्यालय व्यय की उपबंधित राशि से ही करने का निर्देश हैं एवं जुलाई, 2016 के बाद प्रत्येक देयताओं के भुगतान के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेवार करने का निर्देश है । अतः उक्त पत्र के आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

आरोप सं०-2 पर स्पष्टीकरण Late Filing Fee के रूप में रू० 1,55,773.00 का अतिरिक्त भुगतान करने के बारे में इनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक-2093/वि०, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के अनुसार इसका भुगतान कार्यालय व्यय में उपबंधित राशि से की जानी है ।

आरोप सं०-3 पर स्पष्टीकरण इनका कहना है कि इनके द्वारा पूरे कार्यकाल में पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा से कार्य किया गया है । कभी भी कर्त्तव्य में लापरवाही नहीं बरती गयी है ।

श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 3262 दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखंड, रांची से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । कारा निरीक्षणालय, रांची के पत्रांक 1628/जेल दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। कारा महानिरीक्षक, झारखंड, रांची का मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 से 3 पर मंतव्य आयकर फार्म 24Q/26Q का ससमय जमा नहीं कराने के वजह से भारत सरकार आयकर विभाग के द्वारा आयकर शुल्क ससमय जमा नहीं करने के कारण विलम्ब शुल्क सहित राशि रू० 1,55,773.00 का भुगतान करना पड़ा है, जिससे कारा विभाग को विलम्ब शुल्क के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हुए प्रपत्र 24Q/26Q का फार्म का जमा करने हेतु निदेश प्राप्त हुआ । स्पष्टतः श्री पाण्डेय कारा निरीक्षणालय में अपने पदस्थापन अवधि दिनांक 5 जून, 2013 से 31 मार्च, 2015 तक में इनके द्वारा भी उक्त फार्म नहीं भरा गया है, जिसके कारण उक्त अवधि का भी विलम्ब शुल्क आयकर विभाग को जमा करना पड़ा । इस संबंध में पत्रांक-1589, दिनांक 8 जून, 2016 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-1086, दिनांक 10 जून, 2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया कि "मुझे विलम्ब से सहायक तथा प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा इस विषय की जानकारी दी गई ।" तत्पश्चात् इस कार्यालय पत्रांक-2372, दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड से अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई, जिसे कार्मिक विभाग को भी प्रेषित की गई । कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा मंतव्य में उल्लेख

किया गया है कि श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अग्रतर निर्णय कार्मिक विभाग के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा लेना उचित प्रतीत होता है । कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा श्री पाण्डेय के संबंध में उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है ।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखंड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9940, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री पाण्डेय को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत ''निन्दन'' की सजा अधिरोपित किया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दाखिल किया गया, जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-3295, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण, कारा महानिरीक्षक, झारखंड के मंतव्य एवं इनके द्वारा पुनर्विचार अर्जी में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, झा०प्र०से०, तत्कालीन निदेशक (प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कारा निरीक्षणालय, राँची संप्रति अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-9940, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिरोपित ''निन्दन'' के दण्ड को निरस्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 576 -- 50